IRRIGATION DEPARTMENT

The 26th November, 1985

No. 5748/2L.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is no more required by the Government for public purposes, namely kiln opposite to Rehroda Kalan in Tehsil Ch. Dadri, District Bhiwani.

It is hereby notified that the land in the locality specified below is no more required. The notification for the acquisition of this land under the provision of the Section 4 & 6 of land Acquisition Act, 1894 was issued ,—*vide* No. 10444/51/2L/V, dated 7th July, 1972 and No. 11244/2-L, dated 24th July, 1972 respectively.

Now this denotification is made under the provision of section 48 of Land Acquisition Act, 1894 for information to all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorises the Civil Officers to dispose of the land declared surplus by the Irrigation Department as per prevalent.

DETAILS

District	Tehsil	Village	Area in acres	Boundary	Remarks
Bhiwani	Dadri	Rehroda Kalan	12.79	A plot of land comprising of part Khasra numbers 68 203, 69, 71, 73 and 76 full Khasra numbers 70, 74 and 75 opposite Kilometre Stone 24 on Dadri Loharu Road in village Rehroda Kalan as demarcated at site and as shown on the plan.	Land is surplus and no more required for manufacture of bricks.

By order of the Governor of Haryana,

H. R. SARAF,
Superintending Engineer,
Loharu Canal Circle,
Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 11 नवम्बर, 1985

सं० ओ० वि०/भिवानी/89-84/45571.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, भिवानी, के श्रमिक श्री चन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ।

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय एवं सुसंपष्ट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद के सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है ।

क्या श्री चन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?